[This question paper contains 6 printed pages.]

7857 *Your Roll No. .....*

LL.B. / III Term **E**

Paper LB-302 – LIMITATION AND ARBITRATION

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :– इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any **Five** *questions in all, selecting at least* **one** *question from each Part.*
All *questions carry equal marks.*

प्रत्येक भाग से कम-से-कम **एक** *प्रश्न चुनते हुए, किन्हीं* **पाँच** *प्रश्नों के उत्तर लिखिए।*
सभी *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

P.T.O.

PART I (भाग I)

1. (a) "The Law of Limitation is a statute of repose & peace." Comment.

   (b) What is the true meaning of expression "Time Requisite" for obtaining a copy of the decree or order appealed from found in S.12(1) of Limitation Act, 1963 ?

   (क) "परिसीमा की विधि विश्राम तथा शान्ति का कानून है।" टिप्पणी लिखिए।

   (ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(1) में लिखी डिक्री की या आदेश जिससे अपील की गई है की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु "अपेक्षित समय" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है ?

2. Admittedly there was wide-spread strike by non-gazetted officers of the state between 9th September to 10th December 2014. Various offices including those of the Deputy Commissioner as well as majority of courts were not functioning properly, because of strike. Though the strike was called off on 10th October 2014, it took some time before the employees came back to serve and normalcy returned.

   State filed an appeal on 15th Oct. 2014. Period of

Limitation had expired on 12th Oct. 2014. An application was filed for condonation of delay on the ground that these was a general strike and the work in the offices were disrupted. Decide the application with reasons and case laws ?

स्वीकार्यत: राज्य के अराजपत्रित अधिकारियों की 9 सितम्बर से 10 दिसम्बर, 2014 के बीच व्यापक हड़ताल थी। हड़ताल के कारण उपायुक्त कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालय और अधिकांश न्यायालय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। यद्यपि हड़ताल 10 अक्टूबर 2014 को ही समाप्त कर दी गई थी फिर भी कर्मचारियों को वापस सेवा पर आने तथा सामान्य हालत के लौटने से पहले कुछ समय लग गया।

राज्य ने 15 अक्टूबर, 2014 को अपील फाइल कर दी। परिसीमा अवधि 12 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हो गई थी। विलम्ब की माफी के लिए एक अर्जी इस आधार पर फाइल की गई थी कि सामान्य हड़ताल थी तथा कार्यालयों का कार्य विच्छिन्न हो गया था। तर्कों तथा निर्णय विधि की सहायता से विनिश्चय कीजिए।

3. (a) What is the effect of fraud and mistake on limitation ? Support your answer with the help of decided cases.

(b) Differentiate between S.18 and S.19 of the Limitation Act, 1963.

(क) परिसीमा पर कपट और त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ता है ? विनिश्चित केसों की सहायता से अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए।

(ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 और धारा 19 के बीच भिन्नता स्पष्ट कीजिए।

4. (a) Explain the requirements and consequences of S.29(2) Limitation Act, 1963.

(b) Discuss the types of legal disabilities covered under law of limitation along with illustrations.

(क) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) की अपेक्षाएं और परिणामों को स्पष्ट कीजिए।

(ख) परिसीमा विधि के अन्तर्गत आने वाली विधिक निर्योग्यताओं के प्रकारों का विवेचन सोदाहरण कीजिए।

PART II (भाग II)

5. (a) When the subject matter of Arbitration is taken is the court by filing a suit, what ought to be the judicial approach as per the law of Arbitration. Can the court suo-meto send the suit to the arbitral tribunal. Discuss with relevant case law on the subject.

(b) Define and discuss the essentials of arbitration agreement as per provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(क) जब वाद फाइल करके माध्यस्थम की विषयवस्तु को न्यायालय में ले जाया जाता है तब माध्यस्थम विधि के अनुसार न्यायालय का क्या न्यायिक अधिगम होना चाहिए। क्या न्यायालय स्वप्रेरणा से वाद को माध्यस्थम अधिकरण को भेज सकता है ? इस विषय पर सुसंगत निर्णय विधि सहित विवेचन कीजिए।

(ख) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों को परिभाषित तथा विवेचित कीजिए।

6. Explain whether the power of appointment of arbitrator under Section 11 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 is 'judicial' or 'administrative' in nature with the help of case law.

निर्णय विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए क्या माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अन्तर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति का स्वरूप न्यायिक है या प्रशासनिक।

7. (a) Discuss the grounds on which an arbitral award may be set-aside.

(b) Discuss in brief the law laid in Bharat Aluminium Co. V. Kaiser Aluminium Technical Service with respect to application for interim measures under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(क) उन आधारों का विवेचन कीजिए जिन पर माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त किया जा सकता है ।

(ख) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों हेतु अर्जी के विषय में *भारत एल्म्यूनियम कम्पनी* बनाम *कैसर एल्म्यूनियम टैक्नीकल सर्विस* में अधिकथित विधि का संक्षिप्त विवेचन कीजिए ।

8. (a) What is Conciliation ? Distinguish between Conciliation & Arbitration.

(b) Explain the 'Role of Conciliator'. When does the conciliation proceedings terminate ?

(क) सुलह क्या होती है ? सुलह और माध्यस्थम के बीच भेद सुस्पष्ट कीजिए ।

(ख) 'सुलहकर्ता की भूमिका' को स्पष्ट कीजिए । सुलह कार्यवाहियों का अवसान कब होता है ?